



प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक

प्रायोजक : पंजाब नेशनल बैंक

हेड ऑफिस : प्रथमा भवन, राम गंगा विहार
फेज-2, कांठ रोड, मुरादाबाद-244001, उ.प्र.

क्षेत्रीय कार्यालय: मुरादाबाद
शाखा: लालबाग

सार्वजनिक नीलामी द्वारा सम्पत्तियों की बिक्री हेतु सूचना

(वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण व पुर्नगठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के नियमानुसार) (नियम 8 (6) के तहत)

यद्यपि प्राधिकृत अधिकारी प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण व पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) एवं सहपठित नियमों के अंतर्गत ऋणकर्ता एवं सनुबन्धियों को उनके सम्मुख अंकित तिथियों को नोटिस जारी कर उनसे 60 दिनों के अंदर मांग सूचना पत्र में वर्णित धनराशि अदा करने की मांग की थी। ऋणी/सहअनुबन्धियों/बंधककर्ताओं द्वारा उपरोक्त समय अवधि में उक्त धनराशि जमा नहीं करने के कारण प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) एवं सहपठित नियम (8) के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्न वर्णित खातों में उनके सम्मुख अंकित तिथियों में बंधक सम्पत्तियों का सांकेतिक कब्जा प्राप्त कर लिया गया। इस पर भी ऋणी/ सहअनुबन्धियों/ बंधककर्ताओं द्वारा उक्त धनराशि जमा नहीं करने के कारण बैंक में बंधक अचल सम्पत्ति को नीचे दिये गये विवरण के अनुसार नीलामी द्वारा विक्रय किया जाएगा। अतः इच्छुक व्यक्तियों को नीलामी में सम्मिलित होने हेतु आमन्त्रित किया जाता है।

ऋणी/ सहअनुबंधियों का विवरण	बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि / मांग सूचना की देय राशि/ कब्जे की तिथि व स्थिति	न्यूनतम आरक्षित मूल्य/धरोहर राशि/धरोहर राशि जमा करने की अंतिम तिथि	नीलामी की तिथि व समय नीलामी का स्थान
ऋणी: 1. श्री किरन पाल सिंह (मृतक) पुत्र श्री रवींद्र पाल सिंह, द्वारा विधिक वरिसान: 1. श्री आकाश सिंह एवं 2. श्री विकास सिंह, पुत्रगण स्व0 श्री किरन पाल सिंह, 3. कुमारी, प्रियंका पुत्री स्व0 श्री किरन पाल सिंह, 4. श्रीमती शशि सिंह पत्नी स्व0 श्री किरन पाल सिंह, निवासीगण : 7 बी/311, बुद्धि बिहार, फेज 11, मुरादाबाद एवं ऋणी: 2. श्रीमती शशि सिंह पत्नी स्व0 श्री किरन पाल सिंह, निवासी : 7 बी/311, बुद्धि बिहार, फेज 11, मुरादाबाद, सहअनुबंधी : 1. श्री मनोज कुमार राघव पुत्र श्री कुँवर पाल सिंह निवासी हरिहर कालोनी, लाइनपार, निकट टीटू चौहान की डेयरी, मुरादाबाद, 2. श्री अनुज कुमार शर्मा पुत्र श्री दिनेश चंद्र शर्मा निवासी-96, ग्राम सक्ती खेड़ा पोस्ट उदमावाला बाया टांडा बादली, मुरादाबाद।	एक रिहायशी मकान (मकान संख्या- 7बी/311) स्थित बुद्धि बिहार, सैक्टर-7, मुरादाबाद, जिसका क्षेत्रफल 97.50 वर्ग मीटर जोकि विक्रय विलेख सं. 11688/ 2019 के माध्यम से उपनिबंधक कार्यालय प्रथम, मुरादाबाद में श्रीमती शशि सिंह पत्नी श्री किरन पाल सिंह एवं श्री किरन पाल सिंह पुत्र श्री रवींद्र पाल सिंह के नाम पंजीकृत है। सम्पत्ति की चतुरसीमाएँ: पूर्व: 6 मी. चौड़ी सड़क, पश्चिम: मकान सं. 7 बी/326, उत्तर: मकान सं. 7बी/312, दक्षिण: 6 मी. चौड़ी सड़क एवं पार्क।	18.01.2024	रु. 62,00,000/-	दिनांक 03.01.2025 दोपहर 01.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक शाखा लालबाग, मुरादाबाद
		रु. 31,79,279.56	रु. 6,20,000/-	
		दिनांक 01-01-2024 तक	दिनांक 03.01.2025 नीलामी से पूर्व	
		28-03-2024 सांकेतिक		

सम्पत्ति का पूरा विवरण/अन्य जानकारी संबंधित शाखा के पास से किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त की जा सकती है। नीलामी की नियम एवं शर्तें:- 1. नीलामी के समय, बोलीदाता को ईएमडी के लिए ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर/आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत जमा करना होगा, जो प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक के पक्ष में देय हो, बोली से पूर्व जमा करना होगा। 2. बोलीदाता को अपना परिचय पत्र/आधार कार्ड/पैन कार्ड साथ लाना होगा। 3. जैसे ही सफल बोलीदाता की बोली स्वीकार की जाती है उसे उसी दिन नीलामी बोली का 25% (धरोहर राशि समायोजित करते हुए) जमा करना होगा तथा शेष रकम 15 दिनों में अंदर जमा करना होगा अन्यथा पूर्व में जमा की गयी रकम को जब्त कर लिया जाएगा। 4. उपरोक्त सम्पत्तियों को 'जेसा हे जहां है, जो भी है' के आधार पर विक्रय किया जाएगा। प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताये किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। 5. असफल बोलीदाताओं का ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर/आरटीजीएस/एनईएफटी सम्पत्ति की नीलामी के बाद उसी दिन बिना किसी ब्याज के वापस कर दिया जाएगा। 6. हस्तांतरण से संबंधित व्यय जैसे स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्कों आदि और अन्य सभी विधायी व्यय सफल बोलीदाताओं द्वारा वहन किए जाएंगे। 7. सम्पत्ति पर सभी सरकारी कर और बकायों की जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी। 8. अन्य जानकारी के लिए, किसी भी कार्य दिवस पर प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक की सम्बन्धित शाखा से सम्पर्क करें। 9. नीलामी आरक्षित मूल्य से शुरू होगी और बोलीदाताओं को पांच हजार (5,000) के गुणांकों में अपनी बोली में सुधार करना होगा। नीलामी समाप्त हो जाने पर सर्वोच्च बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा। 10. यदि ऋणी नीलामी से पूर्व बैंक को सम्पूर्ण धनराशि एवं देय ब्याज अन्य व्यय सहित भुगतान कर देता है तो उपरोक्त खातों में बंधक सम्पत्ति की नीलामी को रद्द कर दिया जाएगा। 11. यह सूचना ऋणी, सहअनुबंधी एवं बंधककर्ताओं को 30 दिनों की सूचना के रूप में पढ़ा जाए।